विगत 03 वर्षों की राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की उपलब्धियाँ

1. अधिसूचना संख्या–*1028/XXVIII–3–2019–28/2019 दिनांक–31.12.2019* मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन 13 जनपदों के 07 स्थानों पर किया गया है, जिसमें प्रत्येक मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्डों के अध्यक्ष मा0 जिला न्यायाधीश है तथा विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड हेतु विभिन्न स्थानों पर सदस्य चयनित कर दिये गये हैं। जिसके उपरान्त उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांकः–29.11.2024 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के शेष जिलोंः– चमोली, उत्तकाशी, रूद्रप्रयाग, चम्पावत, बागेश्वर एवं अल्मोड़ा में भी मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड स्थापित कर दिया गया है तथा उत्तराखण्ड राज्य के 13 जनपदों में स्थापित मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड को सशक्त बनाये जाने हेतु समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अपने जनपद में गठित मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड हेतु "मुख्य समन्वय अधिकारी" के रूप में नामित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2. NMHP (National Mental Health Programme) के तहत DPCP प्राप्त चिकित्सकों को मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम–2017 के उत्तरदायित्वों के निर्वाहन हेतु शासन की अधिसूचना संख्या–201/XXVIII-3-2022-28/2019 दिनांक 03 जून, 2022 मनश्चिकित्सक घोषित किया है एवं उत्तराखण्ड के विभिन्न चिकित्सालयों में वर्तमान में 30 डी0पी0सी0पी0 डिप्लोमा धारी चिकित्सक कार्यरत है एवं वर्तमान में राज्य के सरकारी चिकित्सालयों एवं मेडिकल कालेजों में 15 मानसिक रोग विशेषज्ञ कार्यरत है एवं राज्य में राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी में एक मात्र क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट कार्यरत है इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा संचालित एम्स ऋषिकेश में 06 मनोरोग विशेषज्ञ संकाय सदस्य कार्यरत है।
3. सरकारी गजट उत्तराखण्ड संख्या– 139621/xxviii–3–2023 ई–फाईल सं0 31629 दिनाकः 24.07.2023 को उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख नियमों, मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकार, मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों एवं नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन हेतु न्यूनतम मानक, विभिन्न प्रकार के प्रारूपों का गजट प्रख्यापित कर दिया गया है।
4. वर्तमान में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, सेलाकुई को 100 शैय्यायुक्त मानसिक चिकित्सालय में उच्चीकृत कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त गेठिया जनपद नैनीताल में 100 शैय्यायुक्त मानसिक चिकित्सालय को बनाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है।
5. वर्तमान में उत्तराखण्ड के 06 जिलों में– हरिद्वार, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग, नैनीताल एवं टिहरी गढ़वाल में NIMHANS, Bangeluru एवं AIIMS, Rishikesh के साझेदारी में MoHFW, GOI के अधिदेश के अनुपालन में National Mental Health Survey-2 (NMHS-2) की कार्यवाही गतिमान है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से Liaisoning Officer हेतु रा0मा0स्वा0प्राधि0 के संयुक्त निदेशक को नामित किया गया है।
6. राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, सेलाकुई, देहरादून में Establisment of Addiction Treatment Facilities(ATF) की Scheme के तहत अस्थायी रूप से 06 पुरूष तथा 06 महिला हेतु Bed Capacity तैयार कर लिया गया है तथा इस Scheme हेतु एक नोडल अधिकारी (Psychiatrist) को नामित कर दिया गया है। Addiction Treatment Facilities(ATF) की Scheme के तहत समाज कल्याण विभाग से मानव संसधान उपलब्ध होने पर इसको संचालित कर दिया जायेगा।
7. समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड के 03 जनपद– हरिद्वार में 15 बैड़, नैनीताल में 30 बैड़ एवं पौड़ी गढ़वाल(कोटद्वार) में 15 बैड़ का नशामुक्ति केन्द्र बनाये जाने हेतु एस0ओ0पी0 के ड्राफ्ट तैयार कर समाज कल्याण विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है।
8. अध्यक्ष, मानसिक स्वास्थ्य पुर्नोविलोकन बोर्ड(मा0 जिला जज), देहरादून एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की सह–अध्यक्षता में मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों एवं नशामुक्ति केन्द्रों के पंजीकरण, न्यूनतम मानको के अनुसार निरीक्षण एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा करने हेतु दिनांक 21.11.2024 को पूर्वान्ह 04 बजे बैठक आहूत की गई थी।
9. राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत(अनंतिम पंजीकरण) 119 सरकारी एवं गैर सरकारी मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों एवे नशा मुक्ति केन्द्रों को पंजीकृत कर लिया गया है, जिनमें से 03 मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों व नशा मुक्ति केन्द्रों का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है, अतः सरकारी एवं गैर सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों/स्थापनों एवं नशा मुक्ति केन्द्रों की संख्या कुल 116 है।
10. मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित आदेश तथा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुपालन में स्वास्थ्य विभाग के परिसर में होलिस्टिक मैन्टल हैल्थ केयर सेल सरकरी कर्मचारी एवं अधिकारी (Holistic Mental Health Care Cell for Govt. Empolyees) हेतु Proposal तैयार किया गया है, जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
11. मानसिक रोग के बारे में आम जनमानस को जागरूकता एवं इसके लक्षणों एवं बचाव के बारे समझाने हेतु राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण हेतु एक लघु फिल्म तैयार की जा रही है।
12. आई0टी0डि0ए0 के सहयोग से उत्तराखण्ड में डिजिटल मीडिया के माध्यम से मानसिक रोग से उपचार उपलब्ध कराने हेतु मोबाईल एप्लिकेशन मनहित (एन0एच0एम मध्यप्रदेश की तर्ज पर) विकसित किया जा रहा है, जिससे कि आम जनमानस तक सुविधाएं पहुँचाई जा सकें।
13. मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित Writ Petition No. 17 of 2018 titled as Vijay Verma Vs. Union of India and Others के आदेश दिनांक–01.06.2018 के बिन्दु सं0–40 " In a well-researched Article 'Mental Health and the law' authored by Pratima Murty, B.C. Malathesh, C. Naveen Kumar and Suresh Bada Math reported in 2016 Dec; 58 (Suppl 2) in Indian Journal of Psychiatry has conceptualized the "Centre for Human Rights, Ethics, Law and Mental Health," ई–मानस पोर्टल संचालन सम्बन्धित जानकारी हेतु SWOT अध्ययन एवं सुदृढ राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की स्थापना हेतु राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के अधिकारियों द्वारा राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, कर्नाटक का Learning हेतु **NIMHANS, Bangalore, Karnataka** का Exposure Visit किया जा रहा है।